

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रतिवादी / अप्रार्थीगण

वादी / प्रार्थी

रामेश्वरभाष फु सुखदेव

बनाम सुखदेव बोयार

प्रकरण : राजस्व वाद / प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 48 / 2022

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
3.3.22	<p>यह वाद/प्रार्थना पत्र अधीन धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील श्री नरेश सिंह राठोड़ ने पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जबाब देही हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 8.4.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] अधीन धारा (एस.डी.ओ.) जायल</p> <p>पक्षकार/अधीन धारा के अधिवक्ता 8/4/22</p> <p>वकील वादी 30। प्रतिवादी से 2 धननाशम की आर से वकील श्री मुकेश मिश्रा ने वकालत नामा पेश किया। शेष के समान तामिल इन्कार होकर दि. 12/7/2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>	
24/6/23	<p>वादी ने जरिये अधिवक्ता हानिर पत्रावली को आज तारिख जारी पर लिया जाकर पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से जरिये विड्रोह स्वार्जि करने का निवेदन किया। वादों की सुना गया। वादी की पक्षकार वकील श्री नरेश सिंह राठोड़ द्वारा वादी की आर से प्रस्तुत विड्रोह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया वाद स्वार्जि किया जाता है। तामिल नम्बर से कम होकर वाद जाता कार्यवाही दारिखल दफ्तर रहे।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>	<p style="text-align: right;">रामेश्वर भाष</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>